प्रार्थी स्वंय उप.। सुना गया। प्रार्थी का कहना है कि श्रीमान न्यायालय के आदेश दिनांक 07.04.2015 की पालना डी.एस.ओं. धौलपुर ने नहीं की है। उन्हें पालना हेतु लिखा जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा धारा 6ए ई.सी.एक्ट. में दिनांक 07.04.2015 को निर्णय पारित किया गया था। डी.एस.ओ. धौलपुर ने इस न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 07.04.2015 के खिलाफ एक अपील न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश धौलपुर के यहां की गई थी। माननीय अपर सैशन न्यायाधीश धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 19.09.2017 में अपील को खारिज करते हुये इस न्यायालय के आदेश दिनांक 07.04.2015 को बहाल रखा है।

अतः जिला रसद अधिकारी धौलपुर को इस न्यायालय की निर्णय दिनांक 07.04.2015 की प्रति एवं अपर सैशन न्यायाधीश धौलपुर के निर्णय दिनांक 19.09.2017 की प्रति भेजते हुए इस आरम की कैफयित जारी हो कि अगर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.04.2015 की पालना अन्दर 10 दिवस सुनिश्चित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो ,बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
भरतपुर